झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–163/2017 .... राँची, दिनांक–..............................

प्रेषक:

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल लातेहार अंतर्गत लातेहार जिले में गारू प्रखंड के सोनवार ग्राम में सोनवार मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 80.310 लाख (रूपये अस्सी लाख इकतीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल लातेहार अंतर्गत लातेहार जिले में गारू प्रखंड के सोनवार ग्राम में सोनवार मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 80.310 लाख (रूपये अस्सी लाख इकतीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

4. स्वीकृत योजना की कुल लागत राशि रू॰ 80.310 लाख है। उक्त योजना के जीर्णोद्धार के उपरात कुल 40 हे॰ (खरीफ–30 हे0 एवं रब्बी–10 हे0) क्षेत्र में सिंचन क्षमता पुनर्जीवित होगी। वर्त्तमान में इस योजना से 10 हे0 खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस कार्य का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 200772/–प्रति हेक्टेयर आकलित है।

5. स्वीकृत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है।

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(iii) इस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(vi) इस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य नहीं कराया गया है।

(vii) इस योजना का जीर्णोद्धार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होने पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(viii) इस योजना से संबंधित वैसे भूखण्ड जिसपर भू–स्वामी द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से निजी भूमि का हस्तानान्तरण किया जाना आवश्यक हो उसका विधि सम्मत हस्तानान्तरण होने के उपरांत ही योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

(ix) उपरोक्त कंडिका '5' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) & (viii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

6. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना 20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' अंतर्गत भारित होगा।

7. इस योजना का जीर्णोद्धार वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में पूर्ण कराया जाएगा।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का जीर्णोद्धार कार्य उत्तम गुणवत्ता के साथ सम्पादित हो।

9. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–163/2017 .... **राँची, दिनांक**–..........................

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–163/2017 .... **राँची, दिनांक**–..........................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–163 / 2017 .... राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–।।, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0 / –
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–163 / 2017 .... राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः आयुक्त, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–163 / 2017 .... राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–163 / 2017 90/16175 ख्वी॰ राँची, दिनांक– 23.03.2017
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/03/17
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)
23/03/17